

फैक्स / Fax : 0132-2765598
दूरभाष / Ph. : 0132-2765933

मुख्य अभियन्ता (वि०)
सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.,

ई-मेल cedsrepvvn@gmail.com

शाकुम्भरी विहार, मर्वीकला, आवास विकास, दिल्ली रोड, सहारनपुर-247001

पत्रांक /मु०से०अ०/स०पुर/तक०/लिकेंज

(अतिरिक्त रू० 01 करोड)

दिनांक 22 /12/2023

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ के कार्यालय ज्ञाप पत्रांक 1685/प०वि०वि०नि०लि०मे०/ तक०/निर्दे-2/29 दिनांक 07.08.2023 के द्वारा अधोहस्ताक्षरी को वर्तमान ग्रीष्म ऋतु में गुणवत्तापरक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के दृष्टिगत बिजनेस प्लान के अन्तर्गत तात्कालिक आवश्यकता के कार्यों को ससमय पूर्ण करने के उद्देश्य से अतिरिक्त धनराशि रू० 01.00 करोड तक व्यय की आवंटित धनराशि के सापेक्ष अधिकृत किये जाने के क्रम में एतद्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल-मेरठ के पत्रांक 1045 दिनांक 21.12.2023 द्वारा प्राप्त पैकेज/प्राकलन धनराशि अंकन रू० 1.997 लाख (रू० एक लाख नित्यानवे हजार सात सौ मात्र) (जी०एस०टी० सहित) निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय लिंकेंज निर्गत किया जाता है। कार्य का विवरण निम्नलिखित प्रकार है :-

क्र० सं०	कार्य का विवरण	धनराशि का विवरण (रू० लाख में)				
		केन्द्रीयकृत सामग्री व्यय	विकेन्द्रीयकृत सामग्री व्यय	स्थानीय व्यय	जी०एस०टी०	कुल योग
1.	मुख्य अभियन्ता, (वितरण) सहारनपुर क्षेत्र, सहारनपुर के कार्यालय में सामूहिक शौचालय, एवं रिकार्ड रूम के नवीनीकरण हेतु आवश्यक जानपदीय कार्यों की आंकलन वित्तीय स्वीकृति हेतु।	0.000	1.693	0.000	0.304	1.997

1. कार्य सम्पादन के क्रम में समस्त नियमों का अनुपालन अवश्य सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से कराया जायेगा।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) का दायित्व होगा कि उपरोक्त पैकेज के विरुद्ध निर्गत की गयी सामग्री अन्यत्र प्रयोग नहीं की जायेगी।
4. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उपरोक्त कार्य का निरीक्षण सम्बन्धित खण्ड के बाहर के अधिकारियों की टीम गठित कर किया जायेगा।
5. उपरोक्त कार्य हेतु केवल वित्तीय लिंकेंज इस कार्यालय द्वारा निर्गत किया जा रहा है लेकिन कार्य की औचित्यता, पैकेज में ली गयी सामग्री एवं कार्य की पुनरावृत्ति आदि का उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता का होगा।
6. उक्त कार्य हेतु सामग्री वर्ष 2023-24 के बिजनेस प्लान के अन्तर्गत समाहित की जायेगी।
7. सम्बन्धित अवर अभियन्ता के द्वारा उपरोक्त एग्जीक्यूटेड एस्टीमेट के अनुसार Bill of Quantity (BOQ) का मेजरमेन्ट अंकित किया जायेगा एवं उक्त सामग्री को मासिक स्टॉक अकाउण्ट में लिया जाना होगा। इस प्रकार लगायी गयी समस्त सामग्री निगम में assets की जायेगी।
8. कार्यों की दरों की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अधीक्षण अभियन्ता की होगी।
9. कार्योंत्तर प्राक्कलन सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त ही भुगतान सम्बन्धी कार्यवाही की जाये।
10. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता (जानपद) का यह दायित्व होगा कि कार्य कराने से पूर्व एवं बाद में फोटोग्राफी सुनिश्चित की जाये।

ऐ०के० आत्रेय
मुख्य अभियन्ता

पत्रांक 1015/8
तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य अभियन्ता (तक०), प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल-मेरठ को उनके पत्रांक 1045 दि० 21.12.2023 के संदर्भ में।
3. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।

(ऐ०के० आत्रेय)
मुख्य अभियन्ता